

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

गजेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी बारवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।	-बनाम-	अनुकंवर पुत्री किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी बारवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
किस्म मुकदमा- दावा: स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 178/2024
		RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

28.10.24 आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री संदीप सैनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

28/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री संदीप सैनी उपस्थित। वकील वादी/प्रतिवादी ने तलबी हेतु पुन अवसर मांगा। अवसर दिया जाता है किन्तु दिनांक 28/11/24 को पेश हो

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

31/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय समक्ष तलबी-कार-कार आवाज लगावाई गई परन्तु इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली अहम हाजती व अहम पेशी से खारिज की जाती है। पत्रावली निश्चल शुभकर होकर दर्ज नम्बर से कम ही तथा कार तलबील जाहा कापिल फरार हो।



सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़